अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2018

सं. 7/2018-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 110 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के साथ पठित वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 (2004 का 23) की धारा 94 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी मालों, का जब भारत में आयात किया जाए, तो उक्त वित्त अधिनियम की धारा 94 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण शिक्षा उपकर से छूट देती है।

[फा. सं. 334/04/2018-टीआरयू]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2018

No. 7/2018- Customs

G.S.R. 110.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with section 94 of the Finance (No. 2) Act, 2004 (23 of 2004), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all goods specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) when imported into India, from whole of Education Cess leviable thereon under section 94 of the said Finance Act.

[F. No.334/04/2018-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2018

सं. 8/2018-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 111(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 **का** 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2007 (2007 का 22) की धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी मालों का, जब भारत में आयात किया जाए तो उक्त वित्त अधिनियम की धारा 139 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर से छूट देती है।

[फा. सं. 334/04/2018-टीआरयू]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2018

No. 8/2018- Customs

G.S.R. 111(E). —In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with section 139 of the Finance Act, 2007 (22 of 2007), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all goods specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) when imported into India, from whole of Secondary and Higher Education Cess leviable thereon under section139 of the said Finance Act.

[F .No. 334/04/2018 -TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.